

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल 2018—वैशाख 5, शक 1940

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2018

क्र. 612-रा.स.-यू.ए.5-2014.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी, ने उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (तीन), (चार) एवं (छः) के अन्तर्गत राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है:—

स. क्र. (1)	नामांकित व्यक्ति का नाम (2)	अधिनियम का प्रावधान (3)
1	श्री विजय सिंह तोमर, डी.एच. 33 ए, डी. डी. नगर, मुरार, ग्वालियर.	धारा 27(2)(तीन)
2	श्री शिवराज शर्मा, (खासखेड़ा वाले) बाल निकेतन रोड, गांधी कॉलोनी मुरैना. श्री रंजीत राणा, ग्राम वीरमपुरा, मुरार, ग्वालियर.	धारा 27(2)(चार)
3	डॉ. प्रवीण शिंदे, पशु चिकित्सक, एफ-108/29, शिवाजी नगर, भोपाल.	धारा 27(2)(छः)

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
लता शरनागत, राज्यपाल के अपर सचिव.